न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 115/2022

ओमप्रकाश बनाम रामकरण आदि

प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री निकुम्भ गढ़वाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रणजीत सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–आदेश–

दिनांकः– 06.04.2023

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 91/2022 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 96 के आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रामकरण द्वारा दावा व टी.आई का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट को दावे में तो पक्षकार बनाया गया है किन्तु टी.आई. आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2022 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया गया है। इससे अपीलांट व्यथित है। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः आवेदन स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 5 से 7 ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार अथवा सहखातेदार दर्ज नहीं है। विचाराधीन अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध है इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट को पाबंद भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है। अपीलांट का आवेदन धारा 96 सीपीसी अस्वीकार कर अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार अथवा सहखातेदार दर्ज नहीं है। विचाराधीन अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध है इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट को पाबंद भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06/04/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर